न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर
पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या – 133 / 2024
उनवान

1. कलाराम पुत्र राजुराम निवासी गेनोणी कड़वासरो की ढाणी तहसील रामसर।

बनाम

1. दमाराम पुत्र उगराराम जाति जाट निवासी गेनोणी कड़वासरो की ढाणी खड़ीन
2. तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन संख्या 133 / 2024 अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:–निर्णय:–

दिनांक :– 13.11.2024

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया कि कि मौजा गेनोणी कड़वासरो की ढाणी पटवार मण्डल खड़ीन के खसरा संख्या 745 / 266 रकबा 5.0748 में बा.सो. भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी को कृषि जोत में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है। राजस्व रिकार्ड में कटान मार्ग दर्ज नही होने के कारण प्रार्थी को आवागमन की विकट समस्या का सामना लगातार करना पड़ रहा है। प्रार्थी ने विप्रार्थी संख्या 1 खातेदारी खेत मौजा गेनोणी कड़वासरो की ढाणी पटवार मण्डल खड़ीन के खसरा संख्या 744 / 266 में से प्रचलित मार्ग को राजस्व रिकार्ड में धारा 251 ए के तहत गैर मूमकीन रास्ता दर्ज किया जाने का निवेदन किया है।

विप्रार्थी संख्या 1 की और से महेन्द्रसिंह सोढा द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया। तहसीलदार रामसर से मौका रिपोर्ट चाही गयी। तहसीलदार रामसर के पत्रांक रीडर / 2024 / 2008 दिनांक 04.10.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। विप्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट पर आपत्ति सहित पुनः तलब करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई विप्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया। मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। समस्त दस्तावेजों के आधार पर प्राथी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा गेनोणी कड़वासरो की ढाणी पटवार मण्डल खड़ीन के खसरा संख्या 745 / 266 रकबा 5.0748 में में बा.सो. भूमि में प्रार्थी को कृषि जोत में आवागमन हेतु रास्ता विप्रार्थी संख्या 1 खातेदारी खेत मौजा गेनोणी कड़वासरो की ढाणी पटवार मण्डल खड़ीन के खसरा संख्या 744 / 266 रकबा 0.0728 हेक्टयर में से संलग्न तहसीलदार रामसर रिपोर्ट अनुसार बिन्दु AB प्रस्तावित रास्ता कुल रकबा 85 मीटर में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार रामसर को तदनूसार राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा लटठा में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। संलग्न तहसीलदार रामसर रिपोर्ट इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। यह आदेश तब ही क्रियान्वित होगा, जब प्रार्थी द्वारा प्रभावित खातेदारान आवश्यक रास्ते की भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु संबंधित डीएलसी दर का दुगुनी राशि रूपये 6030 रूपये तहसीलदार रामसर के राजकोष में जमा करावें।।

निर्णय आज 13.11.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर

उपखण्ड अधिकारी
रामसर